न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 86/2018 (2018/00173)

वादीगण

1. भगवानसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गुलाब चंद पुत्र गणपतलाल
2. बजरंग लाल पुत्र गणपतलाल
   जाति ब्राह्मण निवासियान ग्राम आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर रामेश्वरलाल पुत्र भींवाराम
3. छोटूराम पुत्र भींवाराम
4. बजरंगललाल पुत्र भींवाराम
   जाति जाट निवासियान ग्राम आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर पतासी पुत्री भींवाराम पत्नी बेगाराम जाति जाट निवासी ग्राम मंगरासी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राजस्थान
5. चांदमल पुत्र भागीरथ जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
6. मंजू देवी पत्नी दामोदर प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
7. संतोष कंवर पत्नी फतेह सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
8. पुष्पा कंवर पत्नी श्यामसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

वाद इस्तकरार हक, भू विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. का. अधिनियम 1955 व धारा 131, 132
राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू 1956

उपस्थित :–श्री श्याम सुन्दर चौधरी अधिवक्ता वादी की ओर से
श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 ता 3 व 6 ता 10 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 21/05/2018

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नं0 482 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

2.02 है0, खसरा नं0 483 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 484 रकबा 6.22 है0, खसरा नं0 506 रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 507 रकबा 0.81 है0, खसरा नं0 508 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 989/489 रकबा 0.22 है0 कुल खसरा सं0 7 कुल रकबा 9.70 है0 वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 10 की संयुक्त खातेदारीसुदा स्वामित्व की स्थित है।

उपरोक्त खसरा नं0 482, 483, 484, 506, 507, 508, 989/489 की भूमि में स्थित भूमि रकबा 9.70 है0 में प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पिता गणपतलाल की 8.47 है0 भूमि अवस्थित रही एवं प्रतिवादी सं0 3 ता 6 के पिता भींवाराम की 1.23 है0 भूमि अवस्थित रही।

प्रतिवादी सं0 2 बजरंगलाल ने उपरोक्त खसरों में स्थित अपने हक–हिस्से की भूमि में से 13 बीघा भूमि का बेचान वादी को किया जो हैक्टर पद्वति में 2.1043 है0 होती है। वादी द्वारा अपने हक – हिस्से की भूमि में से 0.0809 है0 का बेचान प्रतिवादी सं0 9 व 0.0809 है0 भूमि का बेचान प्रतिवादी सं0 10 को किया गया। वर्तमान में वादी का कब्जा काश्त खसरा नं0 989/489 रकबा 0.22 है0 पर तथा खसरा नं0 482 में 0.7216 है0 पर है एवं प्रतिवादी सं0 9 व 10 की कब्जा काश्त खसरा नं0 482 में रकबा 0.1618 है0 पर है।

प्रतिवादी सं 01 व 2 ने अपने हक–हिस्से की भूमि में से 0.48 है0 भूमि प्रतिवादी सं0 8 मंजू देवी को बेचान कर दी। वर्तमान में मंजू देवी की कब्जा काश्त खसरा नं0 482 में रकबा 0.48 है0 पर है।

प्रतिवादी सं0 3 ता 6 की कब्जाकाश्त खसरा नं0 506, 507, 508 में है। प्रतिवादी सं0 3 व 4 द्वारा अपने हक–हिस्से की भूमि में से 0.1618 है0 भूमि प्रतिवादी सं0 7 को बेचान की गई। प्रतिवादी सं0 7 का कब्जा काश्त खसरा नं0 506 में 0.1618 है0 पर है एवं प्रतिवादी सं0 6 का हिस्सा 0.0675 है0 व प्रतिवादी सं0 3 व 4 का हिस्सा 0.5524 है0 तथा प्रतिवादी सं0 5 का हिस्सा 0.3908 है0 खसरा नं0 506, 507, 508 में है।

क्र.सं.	पक्षकार का नाम	खसरा नं0	रकबा	हिस्सा
1	भगवानसिंह	482	2.02 है0	1.7216 है0
		989/489	0.22 है0	0.22 है0
2	गुलाबचंद	482	2.02 है0	0.0848 है0
	बजरंगलाल	482	2.02 है0	0.0250 है0
	पुत्रान गणपतलाल	484	6.22 है0	5.7668 है0
		483	0.01 है0	0.0100 है0

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

3	रामेश्वरलाल छोटूराम	506 507 508	0.35 है0 0.81 है0 0.070 है0	0.6149 है0
4	बजरंगलाल पुत्र भींवाराम	506 507 508	0.35 है0 0.81 है0 0.070 है0	0.3883 है0
5	पतासी	506 507 508	0.35 है0 0.81 है0 0.070 है0	0.0650 है0
6	चांदमल	506	0.35 है0	0.1618 है0
7	मंजू देवी	482	2.02 है0	0.48 है0
8	संतोष कंवर	482	2.02 है0	0.0809 है0
9	पुष्पा कंवर	482	2.02 है0	0.0809 है0

मौके पर वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 10 की कब्जा काश्त अलग–अलग है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 10 की कब्जा काश्त अनुसार नजरी नक्शा परिशिष्ट क संलग्न है जिसे वाद का अभिन्न अंग समझा जावें।

वादी द्वारा प्रतिवादी सं0 1 ता 10 को बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा करने को कहा तो प्रतिवादी सं0 1 ता 10 बंटवारा से इंकार हो गये इसलिए वादी को यह वाद पेश करना आवश्यक हो गया।

राजस्व अंधिकारियों ने जमाबंदी में खसरा नं0 482 का रकबा 2.02 है0 गलत अंकित किया है। राजस्व नक्शे में खसरा नं0 482 के डायग्राम का क्षेत्रफल 2.4732 है0 है इसलिए जमाबंदी में किया गया अंकन पूर्णतया गलत है। ग्राम आनन्दपुरा के ही खसरा नं0 484 का जमाबंदी में क्षेत्रफल 6.220 है0 दर्ज किया गया है जबकि राजस्व नक्शे में खसरा नं0 484 के डायग्राम का क्षेत्रफल 5.7668 है0 है। खसरा नं0 482 की जमाबंदी का क्षेत्रफल एवं राजस्व नक्शे के क्षेत्रफल में अंतर है इसलिए खसरा नं0 482 का क्षेत्रफल में 2.74732 है0 दर्ज किया जावे ताकि इसका क्षेत्रफल राजस्व नक्शे के अनुसार हो सके एंव खसरा नं0 484 का क्षेत्रफल जमाबंदी में 5.7668 है0 दर्ज किया जावे ताकि इसका क्षेत्रफल राजस्व नक्शे के अनुसार हो सके।

वादीगण की इस्तदुआ निम्नवत हैः–

ग्राम आनन्दपुरा के खसरा नं0 482 का रकबा 2.4732 है0 है एवं खसरा नं0 484 का रकबा 5.7668 है0 है। वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 10 के अधिकार व

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

आधिपत्य के है एवं इसी माफिक तमाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद फरमाया जावे।

ग्राम आनन्दपुरा की सरहद में कृषि भूमि खसरा नं 482, 483, 484, 506, 507, 508, 989/489 कुल खसरा सं0 7 कुल रकबा 9.70 है0 का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवाया जाकर संलग्न परिशिष्ठ क के अनुसार खसरा नं0 482 में रकबा 1.7216 है0 व खसरा नं0 989/489 रकबा 0.22 है0 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 21.05.2018 को प्रतिवादी सं0 1,2,7,8,9 व 10 की ओर से जबाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया गया, शामिल मिसल है। जिसमें उक्त प्रतिवादीगण ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना बंटवारा करवाने व खसरा सं0 482 व 484 के रकबें में त्रुटी होना अंकित किया। प्रतिवादी सं0 3 व 6 की ओर से इकबाली जबाब दावा पेश कर वादी के वाद को स्वीकार किया गया, शामिल मिसल है। प्रतिवादी सं0 4 व 5 बावजुद तामिल के अनुपस्थित रहने पर इकतरफा की गई।

इस प्रकार वादी के वाद पत्र, प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य वकील वादीगण की बहस एवं प्रस्तुत नजीरों के अवलोकन व प्रतिवादी सं0 1,2,7,8,9 व 10 की ओर से प्रस्तुत काउण्टर क्लेम व प्रतिवादी सं0 3 व 6 की ओर से इकबाली जबाब दावा के अवलोकन से वादीगण का वाद व प्रतिवादी सं0 1,2,7,8,9 व 10 का काउण्टर क्लेम साबित होता है जो स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

ग्राम आनन्दपुरा के खसरा नं0 482 रकबा 2.02 है0 के स्थान पर रकबा 2.4732 है0 तथा खसरा नं0 484 रकबा 6.22 है0 के स्थान पर 5.7668 है0 किया जाता है।

ग्राम आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नं0 482 रकबा 2.4732 है0, खसरा नं0 483 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 484 रकबा 5.7668 है0, खसरा नं0 506 रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 507 रकबा 0.81 है0, खसरा नं0 508 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 989/489 रकबा 0.22 है0 कुल खसरा सं0 7 कुल रकबा 9.70 है0 का बंटवारा वाद पत्र के साथ संलग्न

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागोर)

परिशिष्ट क के अनुसार निम्नानुसार किया जाता है। परिशिष्ट क निर्णय का भाग रहेगा।

क्र.सं.	पक्षकार का नाम	खसरा नं0	रकबा	हिस्सा
1	भगवानसिंह पुत्र नारायण सिंह	482 989/489	2.4732 है0 0.22 है0	1.7216 है0 0.22 है0
2	गुलाबचंद बजरंगलाल पुत्रान गणपतलाल	482 482 484 483	2.4732 है0 2.4732 है0 5.7668 है0 0.01 है0	0.0848 है0 0.0250 है0 5.7668 है0 0.0100 है0
3	रामेश्वरलाल छोटूराम पुत्रान भींवाराम	506 507 508	0.35 है0 0.81 है0 0.070 है0	0.6149 है0
4	बजरंगलाल पुत्र भींवाराम	506 507 508	0.35 है0 0.81 है0 0.070 है0	0.3883 है0
5	पतासी पुत्री भींवाराम	506 507 508	0.35 है0 0.81 है0 0.070 है0	0.0650 है0
6	चांदमल पुत्र भागीरथ	506	0.35 है0	0.1618 है0
7	मंजू देवी पत्नी दामोदर प्रसाद	482	2.4732 है0	0.48 है0
8	संतोष कंवर पत्नी फतेह सिंह	482	2.4732 है0	0.0809 है0
9	पुष्पा कंवर पत्नी श्याम सिंह	482	2.4732 है0	0.0809 है0

डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। नियमानुसार बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 21/05/2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

(अमसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

Web Copy - Not Official